6/A

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेवसिंह हाडा

अपील संख्या 195/12

तारीख रजू– 01/20/2012

रामस्वरूप पुत्र मोतीलाल (गोद पुत्र रणजीता) जाति मीना निवासी राजकीय महाविद्यालय के सामने,गंगापुरसिटी।

––अपीलार्थी

बनाम

1– छाज्या पुत्र शमशेर
2– कमरूद्दीन 3– फकरूद्दीन 4– रसूल 5– सरपट 6– अमरदीन पुत्रान छाज्या
जाति फकीर मुसलमान निवासी सपेरा बस्ती के पास गंगापुरसिटी।

–रेसपोडेण्टस

निर्णय

दिनांक–21/01/2016

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 225 के अन्तर्गत तहसीलदार, गंगापुरसिटी द्वारा मिसल संख्या 01/12 मे पारित आदेश दिनांक 29/08/12 अन्तर्गत धारा 183(बी) के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी ने अदालत मातहत मे एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) इस आशय का प्रस्तुत किया था कि ग्राम उदईकलां की स्थिति भूमि खसरा नम्बर 5667 रकवा 1.14 हैक्टर प्रार्थी के नाम काश्त एवं खातेदारी की भूमि है जिसमे से 40X 80 फीट भूमि पर रेस्पोडेण्टस ने अतिक्रमण कर अनाधिकृत रूप से पाटोर कमरे आदि का निर्माण कर लिया है। रेस्पो0 झगडालू,लठैत व गिरोहबंद व्यक्ति है जो आये दिन प्रार्थी(अनुसूचित जनजाति) के व्यक्ति को परेशान करते रहते है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत मे 40X 80 फीट भूमि रेस्पो0 ने अपीलार्थी से खरीदशुदा बताई है व हाल खसरा नम्बर 5667 का पुराना नम्बर 2580 होना बताया है जबकि मिलान क्षेत्रफल से खसरा नम्बर 2580 का रकवा भिन्न है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी ने अदालत मातहत मे जमाबन्दी 2065–2068 पेश की है जिसमे अपीलार्थी का नाम खातेदार के रूप मे अंकित है परन्तु रेस्पोडेण्टस से अपीलार्थी की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है ओर अदालत मातहत ने इस बात पर गोर नही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि भूमि की पहचान के बारे मे कोई विवाद नही है अपीलार्थी ने अदालत मातहत के समक्ष स्वतन्त्र साक्ष्य प्रस्तुत की है व शपथ पत्र पेश किया है। अपीलार्थी को रेस्पो0 से जिरह का अवसर अदालत मातहत ने प्रदान नही किया है रेस्पो0 ने 40X 80 फीट जमीन अपीलार्थी से खरीदशुदा बताई है जबकि अपीलार्थी ने उसे कोई भू–खण्ड नही बेचा है व रेस्पो0 ने अपने पक्ष मे कोई साक्ष्य पेश नही की है अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय मे उक्त तथ्यो को नही देखकर निर्णय करने मे गलती की है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए वकील रेस्पो0 ने बहस मे तर्क दिया कि अपीलार्थी ने उक्त अपील गलत तथ्यो के आधार पर पेश की है क्योकि अपीलार्थी ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 2580 मे से 80 फुट लम्बा पूर्व से पश्चिम व 40 फुट चौड उत्तर से दक्षिण भूमि को रेस्पो0

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

संख्या 1 को 600/–रू0 मे बेची है जिसका विक्रय पत्र दिनांक 2.2.80 को लिखावट तहरीर,शपथ पत्र व फॉर्म नम्बर 6 व 7 का नक्शा तैयार कर अपीलार्थी ने अपने हस्ताक्षर कर सम्पूर्ण तकमील पूरी करवाकर मालिकाना हक रेस्पो. संख्या 1 के पक्ष मे करवाया है तबसे आज तक रेस्पो0 क्रय की गई भूमि पर काबिज है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि से अपीलार्थी का कोई वास्ता नही है। विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि उपरोक्त भूमि आवासीय भूमि है कृषि भूमि नही है जिसपर धारा 183 बी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का प्रावधान लागू नही होने से अपीलार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है। विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी ने शपथ पत्र मे खसरा नम्बर 5667 की भूमि को कब्जे काश्त व खातेदारी की होना बताया है जब अपीलार्थी की उक्त भूमि कब्जे काश्त व खातेदारी की है तो अदालत मातहत मे 183 बी के प्रार्थनापत्र पेश करने की क्या आवश्यकता थी परन्तु अपीलार्थी ने अपने शपथ पत्र मे बेचने के तथ्य को मन मे बेईमानी आने के कारण छुपाया है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि विवादित भूमि के बारे मे अपीलार्थी ने उपजिला कलेक्टर,गंगापुरसिटी मे दावा रेस्पो0 के विरूद्व प्रस्तुत किया था व उप जिला कलेक्टर,गंगापुरसिटी से अपीलार्थी का दावा खारिज हो जाने के पश्चात अपीलार्थी ने तथ्यो को छुपाकर अदालत मातहत मे 183बी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर अदालत मातहत का अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जावें।

वकील रेस्पो0 की बहस के जवाब मे वकील अपीलार्थी ने बताया कि उपजिला कलेक्टर,गंगापुर के निर्णय के विरूद्व अपील अपीलार्थी ने राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय मे पेश की थी जो दिनांक [illegible]/08/03 को स्वीकार हो चुकी है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि जमाबन्दी 90बी व 90ए का इन्द्राज नही हुआ है भूमि की किस्म आज भी खेती की दर्ज है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

दोनो पक्षो की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलार्थी द्वारा अदालत मातहत मे 183बी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा चुका है टीनेन्सी एक्ट की धारा 175 के तहत कार्यवाही किये जाने पर अब विचार नही किया जा सकता है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूमि का बेचान किया है अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा यदि विक्रय पत्र किया भी गया है तो वह "शून्य" दस्तावेज है अतः उस पर कोई विचार नही किया जा सकता है। अपीलार्थी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है व उसका कथन है कि अपीलार्थी को रेस्पो0 से जिरह अवसर प्रदान नही किया गया है जिसे अदालत मातहत को अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व दिया जाना चाहिये था जो नही दिया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाता है व प्रकरण उभय पक्षकारान को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान कर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु अदालत मातहत को प्रतिपेषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21/01/2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर